



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237167
CG-DL-E-07072022-237167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2964]
No. 2964]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3114(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साईं जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (नया रारा-42) कि.मी.95/000 से कि.मी.98/000 पर लेवल क्रासिंग कि.मी.96/800 के स्थान पर आरओबी निर्माण (दो लेन / चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साईं जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (नया रारा-42) कि.मी.95/000 से कि.मी.98/000 के पर लेवल क्रासिंग कि.मी.96/800 के स्थान पर आरओबी निर्माण के संबंध में तत्काल भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	जॉइंट कलेक्टर, श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, पुट्टपर्थी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205 के कि.मी. 95 से 98 तक	आंध्र प्रदेश	श्री सत्य साई	नल्लाचेर्वु	1 अल्लूगुंडु 2 जोगन्नापेट
---	--	---	--------------	---------------	-------------	------------------------------

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(29)LA/16-S&R(B)]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3114(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (2 laning / 4 laning etc.) maintenance, management and operation from Km.95/000 to Km.98/000 of Construction of ROB on National Highway No.205 (New NH-42) in lieu of level crossing at Km.96/800 in Sri Satya Sai District in the state of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Construction of ROB on National Highway No.205 (New NH-42) from Km.95/000 to Km.98/000 in lieu of level crossing at Km.96/800 in Sri Satya Sai District in the state of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector, Sri Satya Sai District, Puttaparthi	95KM To 98KM	ANDHRA PRADESH	Sri Satya Sai	Nallachervu	1 Allugundu. 2 Jogannapeta

[F. No. RW/NH-12014/AP(29)LA/16-S&R(B)]

RAJESH GUPTA, Director